चेक लिस्ट क्रमांक-34

वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा) (भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 11-9/1998-FC दिनॉक 03.08.2009) ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव (Resolution) आवश्यक रूप से संलग्न करें।

वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र

धरमजयगढ़ वनमण्डल अंतर्गत प्रस्तावित 220 के०व्ही० उपकेन्द्र धरमजयगढ़ ग्राम-हाटी के निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No. 11-9/1998-FC दिनांक 03.08.2009 के अनुसार कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ जिले भू-अभिलेख शाखा का पत्र क्रमांक 179 दिनांक 16.02.2022 द्वारा वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। पत्र संलग्न है।

(ए.के. खलखो)

कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग छ०रा०वि०पारे०कं०मर्या०, रायगढ़ (अभिषेक जोगावत)
(भा.व.से.)

वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल धरमजयगढ

दिनोंक २० (७७) १००).

आज दिनॉक २०/७७७/१०२) को ग्राम . है। है। . के सरपंच श्री/श्रीमती 241424 कि २०१० की अध्यक्षता में ग्राम सभा बैठक आहुत की ग्यी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के ··· ४) सदस्य ··· ६० / प्रतिशत विषयों पर चूर्चा की गई :-

- ग्राम हाटी में आवेदक कार्यपालन अभियंता (सिंश) समाग्रा छ उराठविठपार क्वं निर्मा , रायगढ़ ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वर्न भूमि की व्यपवर्तन हेतु वन भूमि (बड़े झाड़ एवं छोटे झाड़ के जंगल) कुल कक्ष क्र0 551 में से 6.823 हैक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी।
- 2. प्रस्ताव के लक्ष्य उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चों की गयी।
- इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिपेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 220/132 के०व्ही० उपकेन्द्र धरमजयगढ़ के निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई आदिवासी, गैर खैरंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारंपरिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे है एवं कोई भी व अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है।

क्रमांक:	ग्राम का नाम	वन अधिकार	मास्यता पत्र आधार का नाम	रकबा (हेक्टेयर में)
1	हाटी		निरंक	्रिनिर क

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि (बड़े झाड़ एवं छोटे झाड़ के जंगल) वन भूमि कुल योग कक्ष क० 551 में से 6.823 हेक्टेयर वन भूमि गैर वानिकी प्रयोजन हेत् मेसर्स/आवेदक कार्यपालन अभियंता (सि०-पारें) संभाग को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावें।

ज.बं.-धरमजयगढ

जिला-राबगढ़(छ.ग.)

जिला-राष्ट्राड (छ.ग.) सरपंच ...

सील

उपस्थित सदस्य गण :-

हस्ताक्षर/अगुंठा निशान क्रमांक निक्षिति क्यात \mathbb{C}



कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा जिला-रायगढ़(छ.ग.)

कमांक / 179 / स.अ.भू.अ. / 2022 प्रति.

रायगढ़ दिनांक /७/ 🤰 / 2022

वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल घरमजयगढ जिला-रायगढ(छ.ग.)

प्रस्तावित 220/132/33 के0व्ही0 उपकेन्द्र धरमजयगढ़ ग्राम हाटी प0ह0न0 42 विषय :-खसरा न0 1015/1क/1 व खसरा न0 1310/1क वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु अनापित्ति प्रमाण पत्र तथा FRA (प्रदर्स 'स') पत्र जारी करने बाबत्।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग छ०रा०वि०पारे०कं०मर्या० रायगढ़ संदर्भ :-के पत्र कमांक / कायंसि / राय. / स्था. / 972 / रायगढ़ दिनांक 27.01.2022 ।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तावित 220 / 132 / 33 केंं 0व्हीं 0 उपकेन्द्र धरमजयगढ ग्राम हाटी प0ह0न0 42 खसरा नंबर 1015 / 1क / 1 में से रकबा 2.175 है0 व खसरा नं0 1310 / 1क में से 4.648 है0 कुल रकबा 6.823 है0 भूमि जो वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ के जंगल) पी.एफ. कक्ष कमांक 551 में दर्ज है। प्रस्तावित 220 के0व्ही0 उपकेन्द्र धरमजयगढ़ हेतु चिन्हांकित की गई है। जिसके आबंटन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों एवं उपबंधों के तहत् भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही हेत् पत्र प्राप्त हुआ है।

उक्त संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ से प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्यवाही विवरण सहित FRA (प्रदर्स 'स') एवं फार्म-1 मे जानकारी संलग्न कर सादर संप्रेषित है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

्रियुग्रगढ़ (छ0ग0) पृ. कमांक / (स.अ.भू.अ. / 2022 रायगढ़ दिनांक / / /2022

> 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध—व.स.अ.) अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड रायपुर (छ०ग०) को सूचनार्थ।

2. कार्यालय कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग छ०रा०वि०पारे०कं०मर्या० रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ०ग०) को सूचनार्थ ।

> कलेक्टर ुरुप्रगढ़ (छ0ग०)

SA-Later

Annexure-1

FORM-1

(for linear project) Government of Chhattisgarh Office of the District Collector Raigarh

Date -16-7-2

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forests (MOLT), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that 6.823 hectares forest land proposed to be diverted in favour of Chhattisgarh State Power Transmission Company Ltd., Office of the Executive Engineer (Civil) Division 220/KV S/s Colony Kotra Road Raigarh for construction of 220 132/33 KV S/s Dharamjaigarh, Vill.-Hati, in Tehsil Dharamjaigarh Raigarh District.

It is further certified that :-

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire of forest land in total of 6.823 hectares forest land proposed for diversion. A copy of record of all consulatations and meeting of the Forest Rights Committee (s.) Sub Division Level Committee (s) and the District Level Committee (s) are enclosed.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the consent of Gram sabha's have been exempted for linear project vide latter no. F. no. 11-9/98-FC (pt) of Government of India, ministry of Environment and forest's (FC Division) Dated 5th February 2013.

(c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and Pre-

Encl; As above

District Collector Raigarh



कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

प्रदर्श 'स'

प्रस्तावित 220/132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र धरमजयगढ़, ग्राम-हाटी प.ह्नं. 42 छाल प्रमाण पत्र क्षेत्र तहसील धरमजयगढ़ जिला–रायगढ़ (छ.ग.) के निर्माण हेतु कुल वन भूमि 6.823 हेक्ट्रेयर भूमि के प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित स्थल से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन :--

1- प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम् 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया हैं, तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वनभूमि रकबा 6.823 हेक्टेयर (छोटे बड़े झाड़ के जंगल कक्ष कमांक 551) में जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है, तथा ग्राम-हाटी पहानं. 42 छाल क्षेत्र तहसील-धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में स्थित है, में तद्नुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

सहायक महानिरीक्षक वन भारत सरकार का पत्र कमांक / 11-9 / 98-एफ.सी. (पी.टी.) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 05.02.2013 के द्वारा जहां विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) एवं कृषि पूर्व समुदायों के मान्यता अधिकार शामिल न हो वहां सड़क निर्माण, नहरों, पाईप लाईन, आप्टिकल फाइवर बिछाव एवं संचरण लाईनों जैसी परियोजनाओं का गर्मन (रैखिक व्यपवर्तन) के

2-यह प्रमाणित किया जाता है कि (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन लिये ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता से छूट दी गई है। भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(म) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की ग्रामवार विवरण निम्नानुसार है रकबा (हे0 वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम में) तहसील निरंक ग्राम का नाम निरंक 面. धरमजयगढ़ ग्राम-हाटी छाल क्षेत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वनभूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 3. अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (म) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

सयुंक्त सत्यापन प्रतिवेदन के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर अनुसूचित जनजाित एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(म) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

सँलग्न :- उपरोक्तानुसार।

अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति 🌭 जिला-रायगढ़ (छ.ग.)